न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 105/2019

प्रकरण दर्ज तिथि :— 17.09.2019

जीसीएमएस नम्बर :— 2019/00070

वादीगण :—

1. श्रीमति कानुड़ी पत्नी स्वरुप जी, (फौत होने से नाम हटाया गया)
2. भंवर लाल पुत्र स्वरुप जी उम्र— 62साल (फौत) जिसके कायम मुकाम
   2/1. गोटी पत्नी स्वर्गीय भंवरलाल जी, उम्र — 52 साल,
   2/2. नन्दलाल पुत्र स्वर्गीय भंवरलाल जी, उम्र — 33 साल,
   2/3. अणदाराम पुत्रस्वर्गीय भंवरलाल जी, उम्र — 28 साल,
   2/4. शिवदान पुत्र स्वर्गीय भंवरलाल जी, उम्र — 19 साल,
   2/5. प्रेमराज पुत्रस्वर्गीय भंवरलाल जी, उम्र — 19 साल,
   2/6. तुलसी पुत्री स्वर्गीय भंवरलाल जी, उम्र — 24 साल,
   2/7. विसरामी पुत्री स्वर्गीय भंवरलाल जी, उम्र — 20 साल,
3. शिवलाल पुत्र स्वरुप जी, उम्र — 35 साल,
4. राधा पत्नी नारायण जी, उम्र — 75 साल,
5. भोला पुत्र नारायण जी, उम्र — 40 साल,
6. गोपाल पुत्र नारायण जी, उम्र — 30 साल,
7. हिरा देवी पुत्री नारायण जी, उम्र — 32 साल,

जातियान गुर्जर, निवासीगण — केसरपुरा — सुमेल, तहसील — रायपुर जिला— ब्यावर (राजस्थान)
बनाम
प्रतिवादीगण :—

1. तहसीदार जी, तहसील कार्यालय— रायपुर, जिला —ब्यावर।
2. पटवारी पटवार हल्का — सुमेल, तहसील —रायपुर (ब्यावर)।

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री भागीरथ तैली अधिवक्ता वादीगण

2 सरकारी पैराकार उपस्थित

निर्णय

दिनांकः 27.12.2023

वादी की ओर से वकील श्री भागीरथ तेली द्वारा दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा — नाहरगढ़— सुमेल, पटवार हल्का सुमेल भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र — बाबरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर में निम्न खसरा नम्बरान की कृषि भूमि आई हुई हैं, जिसका निम्नानुसार है :—

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
01	1041	173 बीघा	बारानी दोयम
	1041/1	135 बीघा 19 बिस्वा	बारानी दोयम
	1041/2	129 बीघा 16 बिस्वा	बारानी दोयम
	1041/3	12बीघा	बारानी दोयम
	1041/6	931/05 बिस्वा	बारानी दोयम
	1041/7	11 बीघा 10 बिस्वा	बारानी दोयम
	1041/8	27 बीघा 10 बिस्वा	बारानी दोयम
	1041/9	22 बीघा	बारानी दोयम
	1041/10	22 बीघा	बारानी दोयम
	1041/14	18 बीघा 04 बिस्वा	बारानी दोयम
	1041/15	11 बीघा 10 बिस्वा	बारानी दोयम

उपरोक्त जमाबन्दी सम्वत् 2067—2070 की नकलें वाद के साथ संलग्न पेश है, जिसे वाद का आवश्यक भाग समझा जावें। वादीगण की वृक्षवंशावली निम्नानुसार हैः—

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

गंगाराम उर्फ धन्ना पुत्र बरदा जी

स्वरूप लक्ष्मण (ना.ओ.फौत) नारायण वरजी (फौत)

कानुड़ी भंवरलाल शिवलाल

राधा भोलाराम गोपाल हीरादेवी

उपरोक्त खसरा नम्बर 1041 का कुल रकबा 1141 बीघा 11 बिस्वा सन् 1971 में आया हुआ था, सटलमेन्ट एवं आवंटन के समय दिनांक 10.06.1971 व दिनांक 11.06.1971 को ग्राम पंचायत सुमेल में पूर्व निश्चित कार्यक्रम एवं सूचना के अनुसार भूमि आवंटन कमेटी की मिटींग हुई, जिसमें निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित थे, श्रीमान् परगना अधिकारी जैतारण,श्रीमान् शंकरलाल विधायक विधान सभा जैतारण श्रीमान् विकास अधिकारी रायपुर, श्रीमान् तहसीलदार साहब, रायपुर श्रीमान् गुमानमल सरपंच सुमेल उपस्थित थे, आवंटन कमेटी की सर्व सम्मति से एवं राय से गॉव के विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न खसरा नम्बर की भूमि आवंटित की गयी। जिसमें उस दिन कुल 81 व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गयी, तथा प्रमाण पत्र जारी किये गये। एवं कब्जा देने हेतु पटवारी पटवार हल्का सुमेल को लिखा गया। उक्त आवंटन आदेश के पश्चात् वादी संख्या 01 व वादी संख्या 02 के पति के भाई एवं वादीगण संख्या 2 व 3 व वादीगण 5,6,7 के चाचा श्री लक्ष्मण पुत्र धन्ना जी गुर्जर निवासी हर केसरपुरा सुमेल को खसरा नम्बर 1041 में 20 बीघा भूमि आवंटित कर कब्जा सुपुर्द किया गया। आवंटन की दिनांक एवं कब्जा सुपुर्दगी की दिनांक से लक्ष्मण पुत्र धन्ना जी का निरन्तर कब्जा रहा, जिसका देहान्त आज से करीब 30 वर्ष पूर्व हो गया लक्ष्मण पुत्र धन्ना जी की मृत्यु के पश्चात् उनके वारीसान वादीगण उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर कब्जा काश्तबिना किसर रोक टोक के करते आ रहे है। लेकिन हल्का पटवारी की गलती से वादीगण एवं वादीगण के पिता एवं पिता का नाम आवंटन कमेटी के आदेशानुसार आज दिन तक नामान्तकरण नही भरा गया, तब वादीगण ने दिनांक 26.08.2019 को आवंटन आदेश की नकल श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी जैतारण के कार्यालय से प्राप्त की, तब वादीगण के पिता के भाई लक्ष्मण का नाम 57 नम्बर पर बतौर आवंटी के दर्ज मिला, लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारी पटवारी पटवार हल्का सुमेल ने उक्त आदेश की पालना करते वक्त वादीगण के पति एवं पिता के भाई लक्ष्मण पुत्र धन्ना जी का नाम बतौर खातेदार दर्ज नही किया। इस कारण से आज दिन तक वादीगण के पिता एवं पति के नाम के स्थान पर सरकारी भूममि काबिल काश्त भूमि पुरानी पडत के ना म दर्ज है। जबकि वादीगण के पति एव पिता के भाई लक्ष्मण पुत्र धन्ना जी का नाम आवंटन आदेश के अनुसार दर्ज किया जाना चाहिये था, तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाना चाहिये था लेकिन आज दिन तक दर्ज हुआ, तब दिनांक 09.09.2016 को वादीगण ने उपरोक्त खातेदारी की नकले प्राप्त की तब जानकारी हुई कि वादीगण का नाम वर्तमान खातेदारी में नाम दर्ज नही है, इस कारण सेकब्जे काश्त एवं आवंटन के अनुसार वादीगण अपना नाम खातेदारी में दजर्ह करवाने के अधिकारी है। उक्त खसरे के आवंटन के पश्चात् अनेक खातेदार हो गये जिसका कारण उक्त खसर नम्बर 1041/1 से लगाकर 1041/46 बट्टा पड चुके है। लेकिन उपरोक्त चारसा नम्बरान का बन्टवाडा नही हो रखा है, औश्र ना ही मौके पर तरमीम हो रखा है, जबकि सभी खातेदार अपने अपने हिस्से पर एवं आवंटन के अनुसार एवं खातेदारी के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त बिना किसी रोक टोक के करते आ रहे है। वादीगण ने दिनांक 10.09.2016 को प्रतिवादी संख्या 02 से सम्पर्क किया, एवं अपना नामान्तकरण भरने हेतु निवेदन किया, तब प्रतिवादी संख्या 02 ने कहॉ कि आवंटन आदेश पुराना हो चुका है। तुम्हारा कोई नामान्तकरण नही भरुंगा, तथा बेदखल करने की धमकीयां दी आवंटन के आधार पर वादीगण व उसके पिता एवं पति का राजस्व रेकर्ड में आवंटन अनुसार दर्ज नही होने के कारण वादीगण को काफ़ी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। तथा अन्य लोग बिना किसी अधिकार के वादीगण को कब्जे से बेदखल करने पर उतारु है, जबकि उक्त आवंटन सुदा जमीन पर मौके पर काबिज काश्त आज दिन तक करत आ रहे है। राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण को असीम क्षति व भारी नुकसान हो रहा है। वादीगण ने अपने हक हिस्से की भूमि का समतल व उपजाउ बनाने मे काफी रुपये खर्च किये है। वादीगण एक काश्तकार व्यक्ति है जिसका पूरा परिवार काष्तकारी करके ही अपना जीवन यापन करत आ रहे है, वादीगण के पास उक्त खसरा नम्बरान की जमीन के अलावा अन्य कोई जमीन नही है। अगर वादीगण को उक्त जमीन से बेदखल कर दिया जाता है, या वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलनदांजी व बाधा उत्पन्न की जाती है तो वादीगण को असीम क्षति व भारी नुकसान हेागा जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी सुरत में सम्भव नही होगी। वादीगण को अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेंगा। इसलिये वादीगण को अपने हक हिस्से की घोषणा करवाने हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 01 के प्रतिवादी संख्या 02 अधीन है, इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पक्षकार बनाया गया है, तथा प्रतिवादी संख्या 01 उक्त खसरा नम्बरान की जमीन के लैण्ड हौल्डर है, इसलिये प्रतिवादीगण को इस वाद में पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 राज्य सरकार के अधिकारीगण है, जिनके विरुद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन नोटिस व इसकी अवधि समाप्त होने तक प्रतिवादीगण गलत नाम के आधार पर वादीगण को जमीन से बेदखल कर देंगे, इसलिये बिना नोटिस दिये ही श्रीमान् जी से अनुमति लेकर वाद पेश किया जा रहा है, अनुमति प्रार्थना पत्र साथ प्रस्तुत है। बिनायदावा उक्त रेकर्ड की जानकारी होने पर वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर वादीगण को अपने नाम दर्ज नही होने की जानकारी हुई तब दिनांक 26.08.20169 को वादीगण ने पति एवं पिता के नाम आवंटन आदेश की नकल प्राप्त कीख तथ जगाबन्दी की नकल दिनांक 0909.2019 को प्राप्त की, वादीगण को जानकारी हुई तब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 02 को दिनांक 10.09.2019 को राजस्व रेकर्ड मे उक्त आवंटन अनुसार वादीगण का नाम इन्द्राज करने का कहने पर प्रकतिादी संख्या 02 द्वारा मना करने एवं वादीगण को कब्जो से बेदखल करने की ऐलानिय धमकिया देने पर बमुकाम सुमेल, तहसील रायपुर जिला ब्यावर में पैदा होता है, जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार हक अखत्यार का होने से वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है। मालीयत वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं बन्टवाडा पर निर्धारित न्याय शुल्क पेश है। डिकी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर घोषित फरमाया जावे कि वाद के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बरान 1041 रकबा 1141.11 बीघा में वादीगण को 20 बिघा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाकर तदानुसार बाई मिट्स एण्ड बोण्ड्स के जमीन पर बन्टवाडा करके पत्थर गढी करने नक्शा ट्रेस में तरमिन कर राजस्व रेकर्ड में अमल बरामद किया जाकर वादीगण को खातेदारी काश्तकार घोषित फरमाया जावें। डिकी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि वाद के पद संख्या 01 में वर्णित आवंटित जमीन 20 बीघा में वादीगण के हक अनुसार वादीगण के उपयो उपभोग काश्त काश्त मुतालिक समस्त कार्य करने में किसी प्रकार की दखलनदांजी व बाधा उत्पन्न नही करें, इसके लिये प्रतिवादीगण स्वंय व उसके अधिनस्थ कर्मचारी, नौकर चाकर हाली एजेन्ट इत्यादि को हमेशा के वास्ते पाबन्द फरमावें। वाद का सम्पूर्ण खर्चा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें। अन्य दिगर दादरसी मुफिद अगर कोई हो तो वादीगण के हक में अता फरमावें।

अतः वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 03 सीपीसी के तहत पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया हैं प्रार्थना पत्र में वादी संख्या 02 भंवरलाल फौत हो गई हैं एवं उनके कायम मुकाम को रेकर्ड कर लिये जाने हेतु निवेदन किया हैं प्रार्थना पत्र 22 नियम 03 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 02 के कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये हैं। वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 04 सीपीसी के तहत पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया हैं प्रार्थना पत्र में वादी संख्या 01 सुगनी फौत हो गई हैं एवं उनके कायम मुकाम पहले से ही रेकर्ड उपलब्ध हैं इसीलिए इनका नाम हटाया जाने हेतु निवेदन किया हैं प्रार्थना पत्र 22 नियम 04 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 01 सुगनी का नाम रेकर्ड से हटाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर के पत्रांक /राजस्व/2023/1660 दिनांक 26.12.2023 द्वारा मौका फर्द रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जिसमें राजस्व रेकर्ड के ग्राम सुमेल की मिसल बंदोबस्त प्राप्त की जिसमें खसरा नम्बर 1041 रकबा 1141 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 1041/1 रकबा 813 बीघा 15 बिस्वा किस्म बरानी दोयम व खसरा नम्बर 1041/2 रकबा 794 बीघा किस्म बारानी दोयम दर्ज हैं। जमाबंदी की जांच की गई जिसमें प्रार्थीगण शिवलाल पुत्र स्वरूप, राधा पत्नि नारायण, भोला पुत्र नारायण, गोपाल पुत्र नारायण, हीरादेवी पुत्री नारायण, गोरी पत्नि स्व. भंवरलाल, नन्दलाल पुत्र स्व. भंवरलाल, अणदाराम तुलसी पुत्री स्व. भंवरलाल, बिरमराम पुत्री स्व. भंवरलाल जाति गुर्जर निवासीगण केसरपुरा सुमेल से पूछताछ की गई एवं आवंटन आदेश की प्रति प्राप्त की, मौके पर जांच की गई, आवंटी लक्ष्मण पुत्र धन्ना जाति गुर्जर निवासी केसरपुरा के प्रार्थीगण वैद्य वारिसान है जिनकी तस्दीक की गई बाद जांच प्रार्थीगण लक्ष्मण पुत्र धना के विधिक वारिसान हैं जों खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। रेवेन्यु रिकार्ड की जांच में आवंटन आदेश दिनांक 10.06.71 की सूची मे क स 57 पर दर्ज आवंटभ लक्ष्मण पुत्र धना का नाम राजस्व रिकार्ड में आज दिन तक दर्ज नहीं पाया। आंवटन आदेश की पालना पूर्व में नहीं की गई। आवंटी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की रूबरू मौतबिरान जांच की। विवादित आराजी राजस्व गांव नाहरगढ के खसरा नम्बर 1041 के वर्तमान में राजस्व रिकार्ड के अनुसार 1041/1 से लगाकर 1041/54 बट्टा पड चुके हैं। उक्त खसरे के आवंटन के पश्चात् अनेक खातेदार हो गए हैं। आवंटी व उसके वारिसान/प्रार्थीगण राजस्व गांव नाहरगढ के खसरा नम्बर 1041/53 रकबा 13. 798 है किस्म बा. दो. (काबिल काश्त भूमि पुरानी पडत) में से 3.2360 है (20 बीघा) पर वक्त आवंटन से कब्जा काश्त कर रहे हैं। साथ ही उपरोक्त भूमि में वादीगण के नाम दर्ज किया जाए तो तहसीलदार रायपुर को कोई आपत्ति नहीं हैं।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर (ब्यावर)

बहस समायत की गई। बहस में वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया उक्त खसरा नम्बर 1041/53 रकबा 13.798 है किस्म बा. दो. (काबिल काश्त भूमि पुरानी पडत) में से 3.2360 है (20 बीघा) भूमि पर आवंटन से आज तक कब्जा हैं। उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थीगणों को ही कब्जा हैं, वादीगण के पूर्वज का नाम राजस्व रिकार्ड के जमाबंदी गावं सुमेल संवत् 2032–2035 तहसील रायपुर जिला पाली में दर्ज हैं। वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया हैं। बहस में बताया कि उक्त वादीगण का वर्तमान में भी आज दिनांक तक कब्जा काश्त हैं। ग्राम पंचायत सुमेल का प्रमाण पत्र भी वादपत्र के साथ पेश किया हैं जिसमें सुखदेव उर्फ लक्ष्मण पुत्र धन्ना जाति गुर्ज निवासी केसरपुरा सुमेल रायपुर को मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूं इनकी मृत्यु हो गई अतःइनके निम्न वारिसान है भंवरलाल, नेमीचन्द्र पुखराज नैना पुत्र सुखदेव हैं अतः इनको व्यक्तिगत रूप से जानती हूं। इस संबध में पंचायत द्वारा लिखित में दिया हैं।

बहस, उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् सरहद मौजा– नाहरगढ पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र – बाबरा के 1041/53 रकबा 13.798 है किस्म बा. दो. (काबिल काश्त भूमि पुरानी पडत) में से 3.2360 है (20 बीघा) में तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट से पूर्णतया साबित होता हैं कि वादीगण ही इनके उतराधिकारी हैं। इस आराजी पर कब्जा काश्त हैं। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा– नाहरगढ पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र – बाबरा के 1041/53 रकबा 13.798 है किस्म बा. दो. (काबिल काश्त भूमि पुरानी पडत) में से 3.2360 है (20 बीघा), वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित समझतें हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा– नाहरगढ पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र – बाबरा के 1041/53 रकबा 13.798 है किस्म बा. दो. (काबिल काश्त भूमि पुरानी पडत) में से 3.2360 है (20 बीघा) भूमि पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। वादग्रस्त आराजी वादी का कब्जा काश्त (वाद के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट से सिद्ध होता हैं) के अनुरूप वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता हैं। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। तहसीलदार रायपुर तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। तहरीर जारी हों।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर

वादीगण :–

1. श्रीमति कानुड़ी पत्नी स्वरुप जी, (फौत होने से नाम हटाया गया)
2. भंवर लाल पुत्र स्वरुप जी उम्र– 62 साल (फौत) जिसके कायम मुकाम
   - 2/1. गोटी पत्नी स्वर्गीय भंवरलाल जी, उम्र – 52 साल,
   - 2/2. नन्दलाल पुत्र स्वर्गीय भंवरलाल जी, उम्र – 33 साल,
   - 2/3. अणदाराम पुत्रस्वर्गीय भंवरलाल जी, उम्र – 28 साल,
   - 2/4. शिवदान पुत्र स्वर्गीय भंवरलाल जी, उम्र – 19 साल,
   - 2/5. प्रेमराज पुत्रस्वर्गीय भंवरलाल जी, उम्र – 19 साल,
   - 2/6. तुलसी पुत्री स्वर्गीय भंवरलाल जी, उम्र – 24 साल,
   - 2/7. विसरामी पुत्री स्वर्गीय भंवरलाल जी, उम्र – 20 साल,
3. शिवलाल पुत्र स्वरुप जी, उम्र – 35 साल,
4. राधा पत्नी नारायण जी, उम्र – 75 साल,
5. भोला पुत्र नारायण जी, उम्र – 40 साल,
6. गोपाल पुत्रनारायण जी, उम्र – 30 साल,
7. हिरा देवी पुत्री नारायण जी, उम्र – 32 साल,

जातियान गुर्जर, निवासीगण – केसरपुरा – सुमेल, तहसील – रायपुर जिला– ब्यावर (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. तहसीदार जी, तहसील कार्यालय– रायपुर, जिला –ब्यावर।
2. पटवारी पटवार हल्का – सुमेल, तहसील –रायपुर (ब्यावर)।

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि.

राजस्व वाद संख्या 105/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री भागीरथ तेली अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव सरकारी पैराकार प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा– नाहरगढ पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र – बाबरा के 1041/53 रकबा 13.798 है किस्म बा. दो. (काबिल काश्त भूमि पुरानी पडत) में से 3.2360 है (20 बीघा) भूमि पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। वादग्रस्त आराजी वादी का कब्जा काश्त (वाद के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट से सिद्ध होता हैं) के अनुरूप वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता हैं। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं।

नीज......................×................मुबलिक...............×..............बाबत्............×............ खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....×................फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....×.........................को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.12.2023 को जारी किया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	4	00	स्टाम्प हाजरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	10	00	मीजान			
मीजान		18	00			00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।